झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 1701 / 2023

दिलीप महतो उर्फ दिलीप मेहता, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- सत्यदेव महतो, निवासी ग्राम- भांगो, डाकघर.- सिक्की कला, पुलिस स्टेशन.- पाटन, जिला- पलामू (झारखंड)

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य ..... **विपक्षी पक्ष**

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री ए.के. कश्यप, सीनियर एडवोकेट

राज्य की ओर से: सुश्री रूबी पांडे, एडिशनल पीपी

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना गया।

2 यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें दिनांक 28.02.2023 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी की गई थी और दिनांक 28.04.2023 के आदेश, दोनों आदेश विद्वान विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, पलामू द्वारा डाल्टनगंज में पाटन पीएस मामला संख्या 113/2022 के संबंध में पारित किए गए थे, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) (i) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत दंडनीय अपराध दर्ज किए गए थे, जो डाल्टनगंज में विद्वान विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, पलामू की अदालत में लंबित है।

3 याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा, विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और यह संतुष्टि दर्ज किए बिना कि याचिकाकर्ता फरार हो रहा है या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है, जो सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने के लिए अनिवार्य है और याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए कोई समय और स्थान तय किए बिना 28.02.2023 के आदेश के माध्यम से जारी की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता 28.04.2023 के आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना पर जोर नहीं देता है क्योंकि यह निष्फल हो गया है। न्यायालय का ध्यान आदेश की ओर आकर्षित करते हुए 2 सीआर.एम.पी. पोक्सो केस संख्या 42/2023 के संबंध में पारित दिनांक 20.07.2023 के आदेश संख्या 1701/2023 में याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय ने दिनांक 20.07.2023 के आदेश के तहत समन जारी करने का निर्देश दिया है तथा निर्देश दिया है कि मामले को उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत किया जाए, लेकिन याचिकाकर्ता को समन की तामील नहीं की गई है और न ही दिनांक 20.07.2023 के आदेश में याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए कोई तिथि का उल्लेख किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता यह जानने में असमर्थ है कि पोक्सो केस संख्या 42/2023 के संबंध में पारित दिनांक 20.07.2023 के आदेश के अनुसार उसे किस तिथि को उपस्थित होना है तथा वह आगे वचन देता है कि याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल करने के पश्चात निम्न न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, इसलिए यह उचित नहीं है। प्रस्तुत किया गया कि पाटन पी.एस. मामला संख्या 113/2022 के संबंध में दिनांक 28.02.2023 के आदेश को रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

4 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर पीपी ने पाटन पी.एस. मामला संख्या 113/2022 के संबंध में विद्वान विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम, पलामू, डाल्टनगंज द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि यह तथ्य कि विद्वान विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम, पलामू, डाल्टनगंज ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की है, अपने आप में यह दर्शाता है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम, पलामू, डाल्टनगंज के लिए रिकॉर्ड में ऐसी सामग्री उपलब्ध थी जिससे वे संतुष्ट हो सकें कि

ऐसी उद्घोषणा जारी करने का औचित्य है। अतः यह निवेदन किया जाता है कि यह याचिका बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज की जाए।

5 बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अब तक यह विधि का स्थापित सिद्धांत बन चुका है कि सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने वाली अदालत को अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि जिस अभियुक्त के संबंध में सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा की गई है, वह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो रहा है या छिप रहा है और यदि अदालत सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने का निर्णय लेती है, तो उसे याचिकाकर्ता के उपस्थित होने के समय और स्थान का उल्लेख उस आदेश में ही करना चाहिए जिसके द्वारा सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की गई है। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है, चूंकि विद्वान विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, पलामू, डाल्टनगंज ने न तो इस बात पर अपनी संतुष्टि दर्ज की है कि याचिकाकर्ता फरार है या गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है और न ही याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए कोई समय या स्थान तय किया है, इसलिए इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, पलामू, डाल्टनगंज ने कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उक्त उद्घोषणा जारी करके अवैधानिकता की है। इसलिए, यह कानून में टिकने योग्य नहीं है और इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है, जहां पाटन पीएस मामला संख्या 113/2022 के संबंध में विद्वान विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, पलामू, डाल्टनगंज द्वारा पारित दिनांक 28.02.2023 के आदेश को रद्द किया जाए और उसे अलग रखा जाए।

6 विद्वान, विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, पलामू, डाल्टनगंज कानून के अनुसार नया आदेश पारित कर सकते हैं।

7 परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकार की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक, 20 दिसंबर, 2023
स्मिता / एएफआर

यह अनुवाद पैनल अनुवादक
सुश्री मधु कुमारी के द्वारा किया गया है।